लालचन्द — मदन सिंह मु. नं. 29/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible].10.24	पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 18.11.24 को पेश हो।	[signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
18.11.24	पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 5.12.24 को पेश हो।	[signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.12.24	पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 19.12.24 को पेश हो।	[signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
19.12.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7.1.25 को पेश हो [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
7.1.25	पत्रावली पेश। दीगर न्यायिक कार्य में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.1.25 को पेश हो [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व [illegible] सत्यमेव जयते सीकर
		भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
10.1.25	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 29/2022

1 लालचन्द (फौत)
1/1 भुरी पत्नी लालचन्द
1/2 बलबीर पुत्र लालचन्द
1/3 महेन्द्र पुत्र लालचन्द
1/4 हीरालाल पुत्र लालचन्द
1/5 सुशीला देवी पुत्री लालचन्द
1/6 मंजू देवी पुत्री लालचन्द
2 झाबरमल पुत्र फत्तीराम
3 ईश्वरराम पुत्र गंगाराम
4 रतनलाल पुत्र गुलाबचन्द
5 श्रीचन्द पुत्र खींवाराम
6 राजेन्द्र पुत्र खींवाराम
7 रामकोरी पत्नी खींवाराम
8 मंगलचन्द पुत्र बोयताराम
9 चतरूराम पुत्र बोयताराम
10 सांवरमल पुत्र बोयताराम
11 गणपतराम पुत्र बोयताराम
समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम जेरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।

2 शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कूदन तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

3 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

4 मेघली पुत्री खींवाराम पत्नी प्रेमचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर।

5 मोहनी देवी पुत्री खींवाराम पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर।

6 रूपी पुत्री खींवाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर पीठासीन अधिकारी श्री मिथलेश कुमार आरएएस प्रकरण संख्या 32/2021 आवेदन 251 ए आरटीएक्ट बउनवानी मदन सिंह बनाम लालचन्द आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 10.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा 2.91 हैक्टेयर का खातेदार है एवं अपीलांट संख्या 1 लगायत 11 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 कृषि भूमि खसरा नम्बर 1404/543, 1410/546, 1412/548 कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार है तथा खसरा नम्बर 1402/543 रकबा 0.01 हैक्टेयर के अपीलान्ट संख्या 5 व 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उक्त कृषि भूमियां एवं अपीलान्टस की इन कृषि भूमियों से लगती अन्य कृषि भूमियां ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्यज्ञ 4 ता 6 के विरूद्ध धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1412/548 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1410/546 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1404/543 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से नया रास्ता का अनुतोष चाहा, जिस पर अपीलान्टस की तामील होने पर अपीलान्टस जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्होंने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट दिनांक 26.08.2021 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 की विधिवत तामील होने के बावजूद भी उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर आपत्ति आवेदन पर दिनांक 30.03.2022 को बहस सुनकर पत्रावली को विचारण न्यायालय में लंबित रखा एवं उक्त आपत्ति व तहसीलदार रिपोर्ट के संबंध में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 18.04.2022 को नियत किया, तत्पश्चात उक्त आदेशिकाओं के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अनुसार दिनांक 18.04.2022, 25.04.2022, 28.04.2022, 04.05.2022 नियत किया जाना आदेशिका में अंकित है उसके पश्चात दिनांक 09.05.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होना आदेशिका में अंकित किया गया है परन्तु पत्रावली में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी धोद के मौखिक आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार धोद के कवरिंग लेटर दिनांकित 04.05.2022 पत्रावली में सम्मिलित है परन्तु आदेशिकाओं का अवलोकन किया जावे तो पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना कही भी अंकित नहीं है ना ही पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करने हेतु सूचित किया गया था ना ही कोई दिनांक नियत की गयी थी ना ही पीठासीन अधिकारी महोदय ने आपत्ति आवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में मौका रिपोर्ट एवं मौके का नक्शा तैयार किया, ना ही पत्रावली में सम्मिलित की गयी रिपोर्ट दिनांकित 04.05.2022 को प्रकट किया, ना ही दिनांक 10.05.2022 को पक्षकारान की बहस सुनी बल्कि आदेशिका दिनांकित 09.05.2022 में मौका रिपोर्ट प्राप्त होना व दिनांक 10.05.2022 को बहस सुनी जाना अंकित करके दिनांक 23.05.2022 को सरसरी तौर पर ही निर्णय पारित करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 251 ए के आवेदन को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने इस संदर्भ में दिनांक 30.03.2022 को स्वविवेक से स्वयं मौका निरीक्षण करने का आदेश पारित किया एवं दिनांक 09.05.2022 को आदेशिका में रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित किया परन्तु पत्रावली में सम्मिलित उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो उक्त मौका जांच रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी महोदय श्री मिथलेश कुमार द्वारा मौका निरीक्षण करके तैयार की गयी रिपोर्ट नहीं है ना ही अपीलान्टस द्वारा आपत्ति आवेदन में अंकित तथ्यों के खण्डन की जांच रिपोर्ट है ना ही आपत्ति आवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में किन्ही आस पास के खातेदारान की संक्षिप्त साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है ना ही उक्त रिपोर्ट के साथ इस प्रकार का कोई नजरी नक्शा बनाया गया, जिसमें अपीलान्टस द्वारा बताये गये वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो, ना ही अपीलान्टस द्वारा बताये गये वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो, ना ही अपीलान्टस द्वारा बताये गये खसरा नम्बरान में से वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 529 तक आने के लिए नहीं होने की फोटो संलग्न है बल्कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 19.04.2022 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गयी है जिस पर पक्षकारान की उपस्थिति का भी अंकन नहीं है ना ही नियम 69 के तहत मौका जांच रिपोर्ट तैयार करने हेतु हल्का पटवारी सक्षम है बल्कि भू–अभिलेख निरीक्षक से निम्न स्तर का राजस्व कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट तैयार करना नियम 69 में वर्जित किया गया है इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं उसके संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की अवहेलना करके चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो कि किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। प्रथमतया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि में आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव नहीं है द्वितीयतः यदि वैकल्पिक तौर पर यह माना जावे कि खसरा नम्बर 529 में आवागमन के वैकल्पिक मार्ग का अभाव है उस स्थिति में निकटतम दूरी का ही रास्ता दिया जा सकता है इस संदर्भ में यदि मौका स्थिति का वास्तविक अवलोकन करके न्याय निर्णय किया जावे तो दक्षिणी तरफ के रास्ता में से एक रास्ता खसरा नम्बर 540, 541 की पश्चिमी तरफ से उतर की तरफ बढ़ता हुआ खसरा नम्बर 530 में से खसरा नम्बर 529 की सीमा पर बने मकानात तक रास्ता निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से चालू है उक्त रास्ता की खसरा नम्बर 529 से अत्यधिक निकटतम दूरी का है परन्तु पीठासीन अधिकारी महोदय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय में स्वयं द्वारा मौका देखना अंकित करके न्यायिक प्रकिया के नियमों के विपरित तथ्य अंकित करके चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है क्योंकि पत्रावली पर इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि पीठासीन अधिकारी महोदय ने वैकल्पिक मार्गो की जांच की हो एवं पक्षकारान की उपस्थिति में कभी मौका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निरीक्षण किया हो एवं मौका निरीक्षण करके मौका रिपोर्ट तैयार की हो, इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आरबीट्रेरी है जिस कारण चुनौतीग्रस्त निर्णय को खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./21/570 दिनांक 21.09.2021 द्वारा प्रस्तुत बिंदुवार रिपोर्ट के संक्षिप्त सार के अनुसार 'आवेदक द्वारा आवेदित रास्ता को वर्तमान मौका स्थिति एवं चौड़ाई के अनुसार ही फैसल किया जा सकता है। आवेदित रास्ता लघुत्तम दूरी का है। खसरा नम्बर 529 में आवागमन हेतु मौके पर आवेदित रास्ता के अलावा वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि रास्ते के लिए उपलब्ध एवं उपयुक्त है।' उक्त आपत्ति व प्रस्तुत रिपोर्ट तथा मूल आवेदन के निस्तारण के संदर्भ में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा पटवार हल्का की उपस्थिति में देखे गये मौका रिपोर्ट के संक्षिप्त सार के अनुसार 'खसरा संख्या 1404/543, 1410/546, 1412/548 से होकर यह प्रस्तावित रास्ता गुजरता है। खसरा संख्या 1402/543 मौके पर खाली है, जिसमें एक शीशम का पेड़ खड़ा है जो दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तावित रास्ते की भूमि में है। परिवादी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि या नियमानुसार बनने वाली राशि देने पर रास्ते के लिए भूमि देने के लिए तैयार है।' उक्त दोनों रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता व रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता एकमात्र, लघुत्तम उल्लेखित है जबकि मौका अवलोकन व प्रस्तुत रिपोर्ट्स में वकील प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 व 11 ता 14 द्वारा बार–बार आवेदक की भूमि के लगने वाले तीन रास्तों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता व मौका रिपोर्ट आदि के अनुसार यह जाहिर है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र टिनेंसी एक्ट की धारा 251 ए के प्रावधानों एवं शर्तों की पूर्ति करता है तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./21/570 दिनांक 21.09.2021 द्वारा प्रस्तुत बिंदुवार रिपोर्ट के संक्षिप्त सार के अनुसार 'आवेदक द्वारा आवेदित रास्ता को वर्तमान मौका स्थिति एवं चौड़ाई के अनुसार ही फैसल किया जा सकता है। आवेदित रास्ता लघुत्तम दूरी का है। खसरा नम्बर 529 में आवागमन हेतु मौके पर आवेदित रास्ता के अलावा वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि रास्ते के लिए उपलब्ध एवं उपयुक्त है।' उक्त आपत्ति व प्रस्तुत रिपोर्ट तथा मूल आवेदन के निस्तारण के संदर्भ में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा पटवार हल्का की उपस्थिति में देखे गये मौका रिपोर्ट के संक्षिप्त सार के अनुसार 'खसरा संख्या 1404/543, 1410/546, 1412/548 से होकर यह प्रस्तावित रास्ता गुजरता है। खसरा संख्या 1402/543 मौके पर खाली है, जिसमें एक शीशम का पेड़ खड़ा है जो दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तावित रास्ते की भूमि में है। परिवादी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि या नियमानुसार बनने वाली राशि देने पर रास्ते के लिए भूमि देने के लिए तैयार है।' उक्त दोनों रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता व रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता एकमात्र, लघुत्तम उल्लेखित है जबकि मौका अवलोकन व प्रस्तुत रिपोर्ट्स में वकील प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 व 11 ता 14 द्वारा बार–बार आवेदक की भूमि के लगने वाले तीन रास्तों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता व मौका रिपोर्ट आदि के अनुसार यह जाहिर है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र टिनेंसी एक्ट की धारा 251 ए के प्रावधानों एवं शर्तों की पूर्ति करता है तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का निर्णय विधि सम्मत हैं। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर